

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

महेन्द्र कुमार बनाम

किशोर सिंह वगैरे

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन व रथाई निषेधाज्ञा मु०नं० 157 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/285

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुएतारीख  
हुकम

07-05-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री रामगोपाल शर्मा एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 04.06.2025 को पेश हो।

राजदीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रतिवादीगण (होकर)

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतीवादीगण की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकास्मा का हैं। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आये जिससे प्रतिवादीगण की वादी के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। तथा प्रतिवादी सं० 6 प्रकरण में Formal पक्षकार हैं। अतः वकील वादी का निवेदन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि:-

### आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम चक चारावास पटवार हल्का मंडोली तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख० नं० 140, 138, 139 में विवादीत पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका-निरिक्षण कर निम्न शर्तों को ध्यान में रखते हुये विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें:-

1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे




तारीख  
हुकम

हैं तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है तो "बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के सिद्धान्त पर पृथक्-पृथक् लगान कायम करते हुए मीन बट्टा नम्बर डालकर नक्शा ट्रेस में लाल सूख स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम- 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/ प-51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.07.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 30.07.2025 को पेश हो।

  
 (राजेंद्र सिंह यादव)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नीमकाथाना (राज.)  
 नीमकाथाना

367/25

यत्रावली पेश हुई। एकूलाप उपस्थित।

P.O सहब दीगर कार्ड में

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/8/25

को पेश हो।


हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना  
उनवानी महेन्द्र कुमार बनाम किशोर सिंह आदि मु.सं. 157/2025

नम्बर व तारीख अहकाम जो  
इस हुकम की तामील में  
जारी हुए

2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादी सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील वादी तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजवीर सिंह साबव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना (राज.)

# डिक्री मुकदमा इब्लादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. किशोर सिंह पुत्र श्री बहादुर मल जाति जाट निवासी कोटडा रोड़ नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा  
मुकदमा नं. 157 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।